पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर

(327)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म०प्र० — टिकट भरपाया नहीं

3533
1-1-14

R 677-II/14

6
1-1-14

प्रस्तुत द्वारा ... 26-2-14

अन्नपूर्णा प्रसाद पिता रामकिशोर राम ब्रा० ग्राम- मझिगवां तहसील मझौली जिला सीधी म०प्र० ---------- निगरानीकर्ता

बनाम

1/ उमाशंकर पिता रामकिशोर राम ब्रा० साकिन मझिगवां तहसील मझौली जिला सीधी

2/ म०प्र० शासन ----------- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय उप तहसील मडवास तह० मझौली जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्र० 28 अ /12-13 आदेश दि० 25/06/13

= निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता

मान्यवर,

निम्न आधारों पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

1/ यहकि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

2/ यहकि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक उमाशंकर तनय रामकिशोर के द्वारा तहसीलदार उप तहसील मडवास के समक्ष म०प्र० शासन को पक्षकार बनाते हुए ख०भू० नंबर क्र० 269/2, 299, 538, 576/2, के संबंध मे सीमांकन किये जाने की प्रार्थना की गयी जिस पर आदेशित किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 19/06/13 को स्थल पर ग्राम मझिगवां की आवेदित भूमियों का सीमांकन किया गया उक्त सीमांकन निगरानीकर्ता /आवेदक अन्नपूर्णा प्रसाद के स्वत्व अधिपत्य की भूमि आवेदक के के भूमि स्वामित्त्व की भूमि मे नाप दी गयी ।

(327)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सीधी

प्रकरण क्रमांक R–677-II / 14

अन्नपूर्णा प्रसाद / उमाशंकर

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अदित्य प्रसाद त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, उप तहसील मडवास, तहसील मझौली, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 28 / ए / 2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

नाप दी गयी।